अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
हाथीभाटा, पावर हाउस, अजमेर

No 7349 –

क्रमांकः अविविनिलि/अ.अ.(योजना)/आर.ई./प्र. दिनांक 3 FEB 2010

कार्यालय आदेश – 764.

विषय :– फव्वारा एवं बूंद–बूंद सिचांई के लिये विद्युत कनेक्शन प्राथमिकता से देने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक पं. 12 (10) ऊर्जा/2006 दिनांक 17.12.09 एवं डिस्कॉम कार्डिनेशन फोरम की दिनांक 15.01.10 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में पानी के सरंक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों को उच्च प्राथमिकता से बूंद–बूंद सिचांई के लिए विद्युत कनेक्शन देने के सम्बन्ध में निम्न आदेश दिये जाते है।

1. इस पद्धति में कृषि कनेक्शन उच्च प्राथमिकता से दिनांक 31.12.09 तक पंजीकृत उन आवेदकों को दिये जावेगे जो लिखित रुप से बूंद–बूंद/फव्वारा पद्धति में कनेक्शन लेने हेतु योजना में परिवर्तन के लिए 1000/– रु की राशि जमा करा आवेदन करेंगे।

2. इस पद्धति के अन्तर्गत लाईन एवं ट्रांसफार्मर की पूरी लागत आवेदक द्वारा निम्नानुसार वहन की जावेगी

   (I) लाईन चार्जेजः– लाईन चार्जेज रुपये 100/– प्रति मीटर + 2000 रुपये प्रति पोल। (यदि 120 मीटर स्पान पर 2 पोल लगते है तो चार्जेज 12000 + 4000:– 16000रुपये)

   (II) ट्रांसफार्मर– सब स्टेशन चार्जेजः– ट्रांसफार्मरः– सब स्टेशन की कीमत एवं भार के अनुसार ट्रांसफार्मर निम्नानुसार लगाये जायेंगेः–

   (a) 7.5 एचपी तक के कनेक्शन के लिये रु 80000/–

   (b) 7.5 एचपी से ज्यादा और 20 एचपी तक के कनेक्शन के लिये रु 94000/–

   (c) 20 एचपी से अधिक और 32 एचपी तक के कनेक्शन के लिये रु 140000/–

   (d) 32 एचपी से अधिक और 50 तक के कनेक्शन के लिये रु 155000/–

   (e) 50 एचपी से अधिक और 60 तक के कनेक्शन के लिये रु 180000/–

   (f) 60 एचपी से अधिक के कनेक्शन एचटी लाईन पर दिये जायेंगे। सब–स्टेशन कृषि कनेक्शन आवेदक द्वारा लगाया जावेगा।

3. इस पद्धति के अन्तर्गत जारी मांग पत्र की राशि जमा करने से पूर्व आवेदक को कृषि विभाग से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा कि वे बूंद–बूंद एवं फव्वारा पद्धति की स्थापना कर चुके है।/स्थापित करने जा रहे है।

4. इस श्रेणी के समस्त आवेदकों की वरीयता सूची पृथक से संधारित्त की जावेगी।

5. इस पद्धति के लिए निम्न विद्युत दरें अनुसूची एजी/एमएस/एलटी–4 के अन्तर्गत लागू होगी–

1. प्रभार की दर सी–1	50 रु प्रति कनेक्शन प्रति माह
2. ऊर्जा प्रभार की दर सी–2 (iii)	2.10 रु प्रति यूनिट
3. न्यूनतम बिलिंग डी (iii)	200 रु प्रति हा. पावर प्रति माह

6. ऐसे कनेक्शनों को उस क्षेत्र में उनकी प्राथमिकता के समकक्ष, सामान्य कृषि श्रेणी के कनेक्शन जारी होने पर सामान्य कृषि श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जावेगा। इस पद्धति में विद्युत कनेक्शन मांग पत्र की राशि जमा होने की तिथि से अधिकतम 6 माह में जारी कर दिये जावेगें।

7. यदि आवेदक बून्द–बून्द/फव्वारा सिंचाई पद्धति का उपयोग करना बन्द कर पारम्परिक सिचाई पद्धति से ही सिंचाई करना प्रारम्भ करता है तो उसका विद्युत संबंध तुरन्त विच्छेद कर दिया जावेगा।

डिग्गीयों का निर्माण करने पर तुरन्त प्राथमिकता के आधार पर कृषि कनेक्शन चाहने वाले आवेदकों को भी पैरा 2 के अनुसार राशि देनी होगी।

(ई. बी. एम. गोयल)
अधीक्षण अभियन्ता (योजना)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. सलाहकार (मानिटरिंग), माननीयं मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जयपुर
4. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि., जोधपुर।
5. निदेशक (वित्त/तकनीकि), अ.वि.वि.नि.लि. अजमेर
6. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
7. मुख्य अभियन्ता (पवस) अ.वि.वि.नि.लि. अजमेर/उदयपुर/झुंझुनू।
8. मुख्य लेखाधिकारी,(रेवन्यू/बजट/आई ए) अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
9. सचिव (प्रशासन), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
10. अधीक्षण अभियन्ता ( ), अ.वि.वि.नि.लि., ——————।
11. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
12. प्राविधिक–सहायक, प्रबन्ध निदेशक अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
13. कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
14. 'वरिष्ठ लेखाधिकारी (राजस्व/आ. अंकेक्षण), अ.वि.वि.नि.लि., ————।
15. जन सम्पर्क अधिकारी, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
16. सहायक लेखाधिकारी (नियम), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
17. निजी सचिव–माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री के सूचनार्थ।
18. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर/जयपुर

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)